अपंजीकृत बिल्डर पर 29 लाख से अधिक का जुर्माना

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बिना पंजीकरण के फ्लैट-मकान बेचने वाले बिल्डर पर 29 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि आदेश जारी होने के 60 दिन के भीतर जमा करनी होगी। जबकि दो अन्य प्रोजेक्टों का रेरा में 30 दिन में पंजीकरण कराने के आदेश दिए गए हैं।

बिहार रेरा ने जुलाई में बिल्डर को नोटिस जारी किया था। कंपनी से उसके दानापुर में प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी थी। बिल्डर की ओर से पहले भेजे गए पत्र में कहा गया कि प्रोजेक्ट रेरा के अमल में आने से पहले का है। बाद में जब रेरा की ओर से तमाम और जानकारियां मांगी गई तो यह सही नहीं पाया गया। रेरा सदस्य आरबी सिन्हा का कहना है कि प्रोजेक्ट को

सख्त रुख

- रेरा ने दिया 60 दिन में जुर्माने की धनराशि जमा कराने का आदेश
- विलंब शुल्क के साथ प्रोजेक्ट का पंजीकरण कराने को भी कहा

पुराना बताने वाले बिल्डर ने बीते एक साल के अंदर ही ग्राहकों से करीब पांच करोड़ प्राप्त किए। ऐसे मामलों में प्रोजेक्ट की कुल कीमत का दस प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बिल्डर के इस क्षेत्र में नया होने के चलते उस पर प्रोजेक्ट की कीमत 19.63 करोड़ का डेढ़ प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। उसे 29 लाख 44 हजार 500 रुपये आर्थिक दंड की धनराशि जमा करनी होगी। वहीं विलंब शुल्क के साथ इस प्रोजेक्ट को पंजीकृत कराना होगा।

Scanned by CamScanner